बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228032 पटना, दिनांक 13/04/2015

ग्रा0वि0-14(को0)मधेपुरा-01/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री श्री राजेश कुमार (बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1387/08),
अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा सदर
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा)

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप पुरैनी प्रखंड (जिला-मधेपुरा) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
1831.35	₹ 2508949.5

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 1831.35 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रदीप कुमार 12.4.15
(प्रदीप कुमार)
सचिव

जिला का नामः- मधेपुरा

जिला परिषदः- **मधेपुरा**

क्रम सं0	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलनीय राशि	वसूली गयी राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

पंचायत समिति/ प्रखंड का नामः-

क्रम सं0/ प्रखंड		प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसूलनीय राशि (in Qtl.)	वसूली गयी राशि	अवशेष राशि (in Rs.)
1		2	3	4	5	6	7	8
1	पुरैनी	श्री राजेश कुमार (बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1387/08)	4679.16	2847.81	1831.35	2508949.5	0	2508949.5
2	गम्हरिया	श्री महफूज आलम (बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1973/99, 1024/04)	1603.06	0	1603.06	2196192.2	0	2196192.2
3	चौसा	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	2436.92	1796	640.92	878060.4	0	878060.4

1. श्री राजेश कुमार – सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर
2. श्री महफूज आलम – सम्प्रति जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह – सम्प्रति जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम, लखीसराय।